हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

21.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री भगवानदास गोयल उपस्थित। विप्रार्थी सख्या 13 व 18 के अधिवक्ता श्री बालाराम गोदारा उपस्थित। शेष विप्रार्थीगण के बावजूद तामीली अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बहस है कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार हैं और रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतत्र है। जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सेढा पर पक्की माठे व सीमा चिन्ह नही होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काश्त करने से वचित रह जाते है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि स्थाई समाधान के लिए नेखमबंदी आदेश प्रदान किया जावें। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया उक्त आवेदन के संबंध में विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी नहीं की जा रही है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन मात्र विप्रार्थीगण को नाहक तग करने व परेशान करने की नियत से आवेदन पेश किया होने से आवेदन खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गभीरतावूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के रेकर्डेड खातेदार होने से अपनी आराजी की नेखमबंदी करवाने हेतु स्वतंत्र है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी बाबत् आवेदन पेश किया गया है, जिसका प्रार्थीगण अधिकारी है। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा आवेदन पर आपत्ति करते हुए विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नही की जा रही है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन मात्र विप्रार्थीगण को नाहक तग करने व परेशान करने की नियत से आवेदन पेश किया होने से आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया है, जबकि उक्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया है। प्रार्थीगण उक्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार होने से अपनी खातेदारी की नेखमबंदी करवाने हेतु स्वतंत्र है तथा साथ ही यदि किसी पक्षकारान को कोई उजर एतराज है तो वे नेखमबंदी पालना के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु स्वतत्र है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किया जाकर पूर्व मे सीमाज्ञान करते हुए नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा माधा का तला, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 578/517 रकबा 8.7412 हैक्टेयर तथा मोतीनाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 525, 522 रकबा क्रमशः 4.7824, 0.9712 हैक्टेयर विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जायेगा। तत्पश्चात कार्यवाही विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु **भू-अभिलेख निरीक्षक नीम्बला** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरीये नोटिस/पत्र से सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर शुल्क 500/- प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। आवश्यकता होने पर **एस.एच.ओ. शिव** से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। **भू-अभिलेख निरीक्षक नीम्बला** बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)